

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग


क्रमांक: प.2(30)नविवि/3/2016पार्ट

जयपुर, दिनांक: 05.2.18

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.2(30)नविवि/3/2016पार्ट दिनांक 15.01.2018 मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना की अवधि दिनांक 30.06.2018 बढ़ाई गई है। उक्त आदेश को अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, अलवर/भिवाडी में उपचुनाव होने के कारण प्रभावी नहीं किया गया था। वर्तमान में उपरोक्त क्षेत्रों में उपचुनाव सम्पन्न हो चुके हैं तथा आचार संहिता भी समाप्त हो गई है। अतः विभागीय आदेश प.2(30)नविवि/3/2016पार्ट के उपरोक्त क्षेत्रों में एतद्वारा प्रभावी किया जाता है।

भवदीय


5/2/18
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण।
7. समस्त अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास।
8. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. सलाहाकार (विधि), नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।


5/2/18
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम